(वाद संख्या–198/18)

08.08.2019

परिवादी, अजय कुमार, उपस्थित है।

परिवादी को सुना तथा परिवादी के परिवाद–पत्र पर पुलिस अधीक्षक, वैशाली के प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामला महनार थाना कांड सं0–274/17 के एक प्राथमिकी अभियुक्त, आशा देवी के विरूद्ध पुलिस द्वारा अबतक अनुसंधान पूर्ण कर आरोप–पत्र समर्पित नहीं किये जाने से संबंधित है।

प्रस्तुत मामले से संबंधित तथ्य निम्नलिखित हैः–

दिनांक–20.03.2016 को परिवादी के पुत्र, अंशु कुमार, को समस्तीपुर जिलान्तर्गत विद्यापति बाजितपुर बाजार में गोली मारकर गंभीर रूप से घायल किये जाने की घटना को लेकर परिवादी के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त सहदेव साह व तीन अज्ञात के विरूद्ध विद्यापति नगर थाना में भा0द0स0 की धारा 307/34 के अन्तर्गत विद्यापति नगर थाना कांड सं0–32/16, दिनांक–21.03.2016 संस्थित किया गया। उपरोक्त कांड में पुलिस द्वारा अनुसंधानोपरान्त प्राथमिकी अभियुक्त सहदेव साह के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं, 302,307,120(बी)/34 व शस्त्र अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत आरोप–पत्र सं0–48/17, दिनांक–22.04. 2017 समर्पित किया गया। अन्य बिन्दुओं पर पूरक अनुसंधान जारी रहा। उक्त आपराधिक मामले के समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय में विचारण के क्रम में उपरोक्त कांड के अभियुक्त व उनके साथियों द्वारा परिवादी के बड़े भाई, श्रवण कुमार, की वैशाली जिलान्तर्गत महनार बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गयी, जिसको लेकर परिवादी के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर सहदेव साह तथा उसकी दोनों पत्नीयों के विरूद्ध महनार थाना कांड सं0–274/17, दिनांक–02.12.2017 संस्थित किया गया जिसमें पुलिस द्वारा दो आरोप–पत्रों, क्रमशः 41/18 तथा 16/18 द्वारा प्राथमिकी अभियुक्त सहदेव साह, उसकी दोनों पत्नीयों में से एक पत्नी, शीतल गुप्ता, अप्राथमिकी अभियुक्तों, अनिरूद्ध कुमार, रंजीत राय एवं रामद्रवेश राय के विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित किया गया तथा अभी भी प्राथमिकी अभियुक्त सहदेव साह की दूसरी पत्नी, आशा देवी, के विरूद्ध अन्वेषण जारी है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि महनार थाना कांड सं0–274/17, दिनांक–2.12.2017 को घटित हुए करीब दो वर्ष हो चुका है।

पुलिस अधीक्षक, वैशाली को निर्देश दिया जाता है कि उक्त कांड का पूर्ण अन्वेषण यथाशीघ्र समाप्त कर मामले से संबंधित आरोप–पत्र/अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करे तथा परिवादी तथा उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाय।

कार्यालय, उपरोक्त निर्देश के संबंध में पुलिस अधीक्षक, वैशाली को आज पारित आदेश की प्रति के साथ सूचित कर दिया जाय।

आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक